प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद पुत्र श्री रज्जाक गद्दी, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद पुत्र श्री रज्जाक गद्दी, गद्दी पुरवा, थाना- रामकोट,हाल पता- आफीसर्स कालोनी गदियाना,थाना- कोतवाली,जिला- सीतापुर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 27.09.2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-56/2003 धारा- 302/34 आई0पी0सी0 व 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 13.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2020 तक **17** वर्ष **07** माह **28** दिन की अपरिहार सजा तथा **20** वर्ष **07** माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.07.2019 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है,जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.09.2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मोटर साईकिल रोककर रामबाबू व राविस शुक्ला पर तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद पुत्र श्री रज्जाक गद्दी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद (बन्दी संख्या-452/19) पुत्र श्री रज्जाक गद्दी, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-430/2020/738(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतरबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-430/2020/738/22-2-2020-17(945)/2019

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद पुत्र श्री रज्जाक गद्दी, गद्दी पुरवा, थाना- रामकोट,हाल पता- आफीसर्स कालोनी गदियाना,थाना- कोतवाली,जिला- सीतापुर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 27.09.2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-56/2003 धारा- 302/34 आई0पी0सी0 व 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 13.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2020 तक 17 वर्ष 07 माह **28** दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.07.2019 में जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है,जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.09.2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मोटर साईकिल रोककर रामबाबू व राविस शुक्ला पर तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुमताज ऊर्फ ताज मोहम्मद पुत्र श्री रज्जाक गद्दी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in